कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा

सतपुड़ा भवन, भोपाल

Email ID:he.audit@mp.gov.in

क्रमांक/ **1578284** /86 /आउशि/आडिट/**26** भोपाल, दिनांक 22/**10/2026**

प्रति ,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक

2.समस्त प्राचार्य शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय मध्यप्रदेश महाविद्यालय(म.प्र.)

विषय:- मध्यप्रदेश के वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के बारे में और अधिक जागरूकता लाने और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए सेबी/एस.एम.पी. के सहयोग से "प्रोजेक्ट जागरूकता चलाए जाने का प्रस्ताव।

संदर्भ:- अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/I/ **1351851/2026/6099692/2026/38-2** भोपाल, दिनांक **05/10/26.**

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न है) के द्वारा मध्यप्रदेश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और अधिक जागरूकता लाने, वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए सेबी/एस.एम.पी. के सहयोग से ' '**प्रोजेक्ट जागरूक**' के नाम से चलाये जाने का लेख किया गया है।

विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में इस अभियान के तहत राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के यहाँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों द्वारा नामित किए गए तथा सेबी और एन.आई.एस.एम. द्वारा प्रमाणित किए गए ट्रेनर छात्रों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा वे फिर आगे अपने-अपने समुदायों के लोगों को सुरक्षित निवेश के बारे में जागरूक करेंगे और साथ ही उन्हें यह भी बताएंगे कि धोखाधड़ी का शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है।

उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए सुश्री बाला कुमारी , महाप्रबंधक(**balak@sebi.gov.in**)श्री बिनय कुमार, सहायक महाप्रबंधक (**binayk@sebi.gov.in**) से संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में कृत कार्यवाही उपरांत इस कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Prabal Sepaha
Date: 17-10-2026
17:50:31

(प्रबल सिपाहा)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ.क्रमांक/ **1578284/87 /आउशि/आडिट/26** भोपाल, दिनांक 22 /10/2026

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आसिफर अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन उच्च शिक्षा, विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप-परियोजना समन्वय- रूसा/वर्ल्ड बैंक उच्च शिक्षा विभाग भोपाल ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आ.ाई.टी. प्रकोष्ठ - विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.

903
8-10-26

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/I/1351851/2026/6099692/2026/38-2 भोपाल, दिनांक 05-10-2026

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

विषय:-मध्यप्रदेश में वित्तीय साक्षरता को बढाया देने निवेश के बार में और अधिक जागरूकता लाने और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए सेबी/एस.एम.पी. के सहयोग से "प्रोजेक्ट जागरूकता चताए जाने का प्रस्ताव ।

----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 13352/2026 दिनांक 28/09/2026 के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई से प्राप्त पत्र दिनांक 17/09/2026 की छायाप्रति मय सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

Digitally signed by
Ram Kumar Yadav
Date: 05-10-2026
18:15:46

(आर.के. यादव)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक/ /6099692/2026/38-2 भोपाल, दिनांक /10/2026

प्रतिलिपि:-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (समन्वय वि.वि) की ओर पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Put up on file
by 15/X/2026

कार्यालय
आयुक्त उच्च शिक्षा
12 OCT 2026
AD (F)
आयुक्त

E-6099692/26/38-2
05-10-26

तुहिन कांत पाण्डे
अध्यक्ष
Tuhin Kanta Pandey
Chairman

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Co/13352
28/09/2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

28 SEP 2026
OSD(APS)

SEBI/OIAE/ DIS/24175/2026
September 17, 2026
17 सितम्बर, 2026

प्रिय श्री अशोक बरनवाल / Dear Shri Ashok Barnwal,

विषय: <u>मध्य प्रदेश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, निवेश के बारे में और अधिक जागरूकता लाने और वित्तीय धोखा धड़ी पर लगाम कसने के लिए सेबी / एस.एम.पी. के सहयोग से 'प्रोजेक्ट जागरूक' चलाए जाने का प्रस्ताव</u>

Subject: **<u>Proposal to collaborate with SEBI/SMPs to implement 'Project Jagrook' to enhance Financial Literacy, promote Awareness about investment as well as Financial Fraud Prevention in Madhya Pradesh– Regarding</u>**

1. जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) के तहत की गई थी और सेबी का उद्देश्य सिक्यूरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना, सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित (रेग्यूलेट) करना है ।

   As you are aware, SEBI, established under the SEBI Act, 1992, is mandated to protect the interests of investors in securities and to promote the development and regulation of the securities market.

2. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, देशभर में **'प्रोजेक्ट जागरूक'** नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है । यह अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अलग-अलग भाषाओं में चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वित्त संबंधी पहलुओं की जानकारी दी जा सके और उन्हें सोच-समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेने के काबिल बनाया जा सके और इस तरह से वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसी जा सके । सेबी यह अभियान सिक्यूरिटीज़ मार्केट से जुड़े महत्त्वपूर्ण सहभागियों (एस.एम.पी.) जैसे राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.), स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई., एनएसई, एमसीएक्स), डिपॉजिटरीज़ (सीडीएसएल और एनएसडीएल) और एम्फी (असोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) के साथ मिलकर चला रहा है ।

   In line with this mandate, **'Project Jagrook'** has been initiated as a comprehensive, nationwide campaign that integrates both physical and digital pathways to enhance financial literacy. The project adopts a multi-linguistic and multi-channel approach to promote financial literacy, informed investment practices and prevent financial fraud. This unified mission is being driven by SEBI in collaboration with key Securities Market Partners (SMPs) including National Institute of Securities Market (NISM), Stock Exchanges (BSE, NSE, MCX), Depositories (CDSL and NSDL) and Association of Mutual Funds in India (AMFI).

CS (Home) + CS (Finance) + ACS (HE)

CS (Fin) to ensure that copy is sent SEBI chairman on my side.

जागरूकता अभियान संबंधित OSD (समन्वय, वि. वि.)

दिनांक 38/09/2026

सेबी भवन, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400 051
SEBI Bhavan, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400 051
www.sebi.gov.in | 022 - 2644 9999 / 4045 9999 | chairman@sebi.gov.in

3. देशभर में चलाए जा रहे इस अभियान को कारगर ढंग से और बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए, सेबी ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि सभी के लिए एक ही तरह का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बजाय लोगों की उम्र, उनके ज्ञान के स्तर, अनुभव और अलग-अलग संस्थाओं के साथ उनके सरोकार को ध्यान में रखकर ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। इस रणनीति के तहत, मध्य प्रदेश सरकार के साथ तालमेल बिठाते हुए, एस.एम.पी., यानी एनएसई, सेबी के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे:

To ensure the effective and widespread implementation of this national campaign, SEBI has transitioned from broad-based outreach to a targeted awareness program approach based on age, knowledge and experience of each cohort, and institutional engagement. Under this strategy, a dedicated SMP, i.e. NSE, would work alongside SEBI in coordination with the Government of Madhya Pradesh to conduct structured awareness programs, through the following two primary pathways:

i. **राज्य सरकार के जरिए विभिन्न संस्थाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन:** संबंधित राज्य सरकार के विभागों जैसे कि शिक्षा विभाग (उच्च विद्यालय), कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वयं सहायता समूहों, पुलिस, पंचायती राज विभाग, आदि के सहयोग से उनके कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की उम्र, उनके ज्ञान के स्तर और उनकी भाषा के आधार पर उन्हें वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें वित्त संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।

   Institutional Outreach via State Government: Facilitating engagement with various target audience groups and public sector employees through relevant State Government departments, such as School Education (high schools), Skill Development, Women & Child Development, Self Help Groups, State Police, Panchayati Raj, etc. This will enable the dissemination of financial and investor awareness tailored to specific age, skill, and language preferences.

ii. **विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ सहयोग**: इस अभियान के तहत, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के यहाँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत, विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों द्वारा नामित किए गए तथा सेबी और एन.आई.एस.एम. द्वारा प्रमाणित किए गए ट्रेनर छात्रों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करेंगे। हमें यह उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के दौरान जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा वे फिर आगे अपने-अपने समुदायों के लोगों को सुरक्षित निवेश के बारे में जागरूक करेंगे और साथ ही उन्हें यह भी बताएंगे कि धोखाधड़ी का शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है।

Partnership with Universities & higher education institutions: Extending the campaign to universities and educational institutions under the State Government. Under this initiative, Trainers nominated by universities & educational institutions and certified by SEBI & NISM will impart financial literacy to students. It is envisioned that these trained youths will serve as catalysts to spread awareness regarding safe investment practices and fraud prevention within their communities.

इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जो भी अनुभव रहेगा उसके आधार पर और उपरोक्त विभागों द्वारा दिखाई गई रुचि के आधार पर, इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन राज्य सरकार के दूसरे विभागों के लिए भी किया जाएगा ।
Based on the experience gathered from these initiatives and the interest shown by the aforesaid departments, such initiatives will also be expanded to other departments of the State Government.

4. ऊपर जिन उद्देश्यों का जिक्र किया गया है, उन्हें पूरा करने में हमें आपके सहयोग की दरकार है । इसलिए आपसे निवेदन है कि आप संबंधित प्रशासनिक विभागों को अनुदेश दें कि वे इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, जिससे मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को लाभ होगा । साथ ही, आपसे यह भी निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के किसी सचिव / विशेष सचिव / अपर सचिव के स्तर के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करें, ताकि उनकी देखरेख और नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके ।

In order to facilitate the above, I request you to kindly consider advising the concerned administrative departments to facilitate this initiative that would benefit the residents of Madhya Pradesh. Additionally, it is requested that a senior official, preferably of the rank of Secretary / Special Secretary / Additional Secretary to the State Government, may be nominated as the Nodal Officer to oversee and lead this joint effort.

5. इसके अलावा, आपसे यह भी निवेदन है कि आप अपनी सुविधानुसार कोई तारीख और समय सूचित करें, ताकि सेबी के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के अधिकारी और इस अभियान से जुड़े नोडल एस.एम.पी. यानी एनएसई के अधिकारी (श्री जावेद हुसैन, jhusain@nse.co.in) आपके साथ इस संबंध में एक बैठक करके आपको विस्तार से यह बता सके कि मध्य प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम किस-किस तरह से आयोजित किए जाएँगे ।

Further, at a date and time of your convenience, an introductory meeting with SEBI officials of Western Regional Office (WRO), Ahmedabad along with official of nodal implementing SMP, i.e. NSE (Shri Javed Husain, jhusain@nse.co.in) may please be scheduled. This will allow the team to present the detailed proposal and execution plan in Madhya Pradesh.

6. इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, सेबी में सुश्री बाला कुमारी, महाप्रबंधक (balak@sebi.gov.in) / श्री बिनय कुमार, सहायक महाप्रबंधक (binayk@sebi.gov.in) से संपर्क किया जा सकता है ।

The nodal point of contact for this initiative at SEBI are Ms. Bala Kumari, GM, balak@sebi.gov.in / Mr. Binay Kumar, AGM, binayk@sebi.gov.in.

सादर / With Regards,
आपका / Yours sincerely,

तुहिन कांत पाण्डे / Tuhin Kanta Pandey

श्री अशोक बरनवाल, आई.ए.एस.,
मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश,
पिन कोड – 462004
ईमेल - cs@mp.nic.in

Shri Ashok Barnwal, I.A.S.,
Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhawan, Mantralaya,
Bhopal, Madhya Pradesh,
Pin Code – 462004
Email: cs@mp.nic.in

प्रति / CC:

(1) श्री अनुपम राजन, आई.ए.एस.,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश, पिन कोड - 462004
ईमेल - pshighedu@mp.gov.in

Shri Anupam Rajan, I.A.S.,
Additional Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Department of Higher Education,
Vallabh Bhawan, Mantralaya,
Arera Hills, Bhopal,
Madhya Pradesh, Pin Code - 462004
Email: pshighedu@mp.gov.in

(2) श्री मनीष रस्तोगी, आई.ए.एस.,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
वित्त विभाग,
ब्लॉक - 02, तृतीय तल,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, पिन कोड – 462004
ईमेल - acsfinance@mp.gov.in

Shri Manish Rastogi, I.A.S.,
Additional Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Finance Department,
Block - 02, 3rd Floor,
Mantralaya, Vallabh Bhawan,
Bhopal, Pin Code – 462004
Email: acsfinance@mp.gov.in

cs < cs@nic.in >

प्रोजेक्ट जागरूक" के संबंध में सहयोग हेतु सेबी के दिनांक 17 सितंबर, 2026 के पत्र की स्कैन प्रति प्रेषित करने के संबंध में/ Submission of scanned copy of SEBI's letter dated September 17, 2026, regarding "Project Jagrook" collaboration

< binayk@sebi.gov.in >
Thu, 24 Sep 2026 2:43:53 PM +0530

To "cs"<cs@mp.nic.in>

Cc "pshighedu"<pshighedu@mp.gov.in>,"acsfinance"<acsfinance@mp.gov.in>,"VIKAS SUKHWAL"<vikass@sebi.gov.in>,"VIKAS SS"<vikas@sebi.gov.in>,"BALA KUMARI" <balak@sebi.gov.in>,"JAINENDRA SHANDILYA"<jainendras@sebi.gov.in>,"MONICA KULKARNI"<monikak@sebi.gov.in>,"jhusain"<jhusain@nse.co.in>

Tags Not in Contacts

आदरणीय महोदय/Dear Sir,

यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 17 सितंबर, 2026 के उस पत्र के संदर्भ में है, जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित किया गया है। उक्त पत्र में मध्य प्रदेश राज्य में "प्रोजेक्ट जागरूक" के क्रियान्वयन हेतु सेबी के साथ सहयोग के प्रस्ताव का उल्लेख है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, निवेश संबंधी जागरूकता प्रसारित करना तथा वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना हैं।

This is with reference to SEBI's letter dated September 17, 2026, addressed to the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, regarding the proposal for collaboration with SEBI for the implementation of "Project Jagrook" in the State of Madhya Pradesh. The primary objectives of this project are enhancing financial literacy, promoting investment awareness, and creating awareness on the prevention of financial fraud.

उक्त पत्र यद्यपि आधिकारिक डाक के माध्यम से पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है, तथापि आपके संदर्भार्थ हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन प्रति संलग्न की जा रही है।
While the aforesaid letter has already been dispatched via official post, a scanned copy of the signed letter is enclosed herewith for your ready reference.

हमें इस प्रभावशाली पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने की अपेक्षा है।
We look forward to collaborating with the Government of Madhya Pradesh on this impactful initiative.

Thanks & Regards,
Binay Kumar
Assistant General Manager
OIAE –IAD-1

Securities and Exchange Board of India (SEBI) | SEBI Bhavan II | Plot No. C-7, G Block | Bandra Kurla Complex | Bandra East | Mumbai – 400051
Tel: (022) 26449874

कांत पाण्डे
ध्यक्ष
Tuhin Kanta Pandey
Chairman

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

SEBI/OIAE/ DIS/24175/2026
September 17, 2026
17 सितम्बर, 2026

प्रिय श्री अशोक बरनवाल / Dear Shri Ashok Barnwal,

विषय: <u>मध्य प्रदेश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, निवेश के बारे में और अधिक जागरूकता लाने और वित्तीय धोखा धड़ी पर लगाम कसने के लिए सेबी / एस.एम.पी. के सहयोग से 'प्रोजेक्ट जागरूक' चलाए जाने का प्रस्ताव</u>

Subject: <u>Proposal to collaborate with SEBI/SMPs to implement 'Project Jagrook' to enhance Financial Literacy, promote Awareness about investment as well as Financial Fraud Prevention in Madhya Pradesh– Regarding</u>

1. जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) के तहत की गई थी और सेबी का उद्देश्य सिक्यूरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना, सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित (रेग्यूलेट) करना है ।

   As you are aware, SEBI, established under the SEBI Act, 1992, is mandated to protect the interests of investors in securities and to promote the development and regulation of the securities market.

2. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, देशभर में **'प्रोजेक्ट जागरूक'** नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है । यह अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अलग-अलग भाषाओं में चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वित्त संबंधी पहलुओं की जानकारी दी जा सके और उन्हें सोच-समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेने के काबिल बनाया जा सके और इस तरह से वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसी जा सके । सेबी यह अभियान सिक्यूरिटीज़ मार्केट से जुड़े महत्त्वपूर्ण सहभागियों (एस.एम.पी.) जैसे राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.), स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई., एनएसई, एमसीएक्स), डिपॉजिटरीज़ (सीडीएसएल और एनएसडीएल) और एम्फी (असोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) के साथ मिलकर चला रहा है ।

   In line with this mandate, **'Project Jagrook'** has been initiated as a comprehensive, nationwide campaign that integrates both physical and digital pathways to enhance financial literacy. The project adopts a multi-linguistic and multi-channel approach to promote financial literacy, informed investment practices and prevent financial fraud. This unified mission is being driven by SEBI in collaboration with key Securities Market Partners (SMPs) including National Institute of Securities Market (NISM), Stock Exchanges (BSE, NSE, MCX), Depositories (CDSL and NSDL) and Association of Mutual Funds in India (AMFI).

3. देशभर में चलाए जा रहे इस अभियान को कारगर ढंग से और बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए, सेबी ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि सभी के लिए एक ही तरह का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बजाय लोगों की उम्र, उनके ज्ञान के स्तर, अनुभव और अलग-अलग संस्थाओं के साथ उनके सरोकार को ध्यान में रखकर ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। इस रणनीति के तहत, मध्य प्रदेश सरकार के साथ तालमेल बिठाते हुए, एस.एम.पी., यानी एनएसई, सेबी के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे:

To ensure the effective and widespread implementation of this national campaign, SEBI has transitioned from broad-based outreach to a targeted awareness program approach based on age, knowledge and experience of each cohort, and institutional engagement. Under this strategy, a dedicated SMP, i.e. NSE, would work alongside SEBI in coordination with the Government of Madhya Pradesh to conduct structured awareness programs, through the following two primary pathways:

i. **राज्य सरकार के जरिए विभिन्न संस्थाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन:** संबंधित राज्य सरकार के विभागों जैसे कि शिक्षा विभाग (उच्च विद्यालय), कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वयं सहायता समूहों, पुलिस, पंचायती राज विभाग, आदि के सहयोग से उनके कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की उम्र, उनके ज्ञान के स्तर और उनकी भाषा के आधार पर उन्हें वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें वित्त संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।

   Institutional Outreach via State Government: Facilitating engagement with various target audience groups and public sector employees through relevant State Government departments, such as School Education (high schools), Skill Development, Women & Child Development, Self Help Groups, State Police, Panchayati Raj, etc. This will enable the dissemination of financial and investor awareness tailored to specific age, skill, and language preferences.

ii. **विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ सहयोग**: इस अभियान के तहत, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के यहाँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत, विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों द्वारा नामित किए गए तथा सेबी और एन.आई.एस.एम. द्वारा प्रमाणित किए गए ट्रेनर छात्रों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करेंगे। हमें यह उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के दौरान जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा वे फिर आगे अपने-अपने समुदायों के लोगों को सुरक्षित निवेश के बारे में जागरूक करेंगे और साथ ही उन्हें यह भी बताएंगे कि धोखाधड़ी का शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है।

Partnership with Universities & higher education institutions: Extending the campaign to universities and educational institutions under the State Government. Under this initiative, Trainers nominated by universities & educational institutions and certified by SEBI & NISM will impart financial literacy to students. It is envisioned that these trained youths will serve as catalysts to spread awareness regarding safe investment practices and fraud prevention within their communities.

इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जो भी अनुभव रहेगा उसके आधार पर और उपरोक्त विभागों द्वारा दिखाई गई रुचि के आधार पर, इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन राज्य सरकार के दूसरे विभागों के लिए भी किया जाएगा ।

Based on the experience gathered from these initiatives and the interest shown by the aforesaid departments, such initiatives will also be expanded to other departments of the State Government.

4. ऊपर जिन उद्देश्यों का जिक्र किया गया है, उन्हें पूरा करने में हमें आपके सहयोग की दरकार है । इसलिए आपसे निवेदन है कि आप संबंधित प्रशासनिक विभागों को अनुदेश दें कि वे इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, जिससे मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को लाभ होगा । साथ ही, आपसे यह भी निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के किसी सचिव / विशेष सचिव / अपर सचिव के स्तर के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करें, ताकि उनकी देखरेख और नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके ।

In order to facilitate the above, I request you to kindly consider advising the concerned administrative departments to facilitate this initiative that would benefit the residents of Madhya Pradesh. Additionally, it is requested that a senior official, preferably of the rank of Secretary / Special Secretary / Additional Secretary to the State Government, may be nominated as the Nodal Officer to oversee and lead this joint effort.

5. इसके अलावा, आपसे यह भी निवेदन है कि आप अपनी सुविधानुसार कोई तारीख और समय सूचित करें, ताकि सेबी के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के अधिकारी और इस अभियान से जुड़े नोडल एस.एम.पी. यानी एनएसई के अधिकारी (श्री जावेद हुसैन, jhusain@nse.co.in) आपके साथ इस संबंध में एक बैठक करके आपको विस्तार से यह बता सकें कि मध्य प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम किस-किस तरह से आयोजित किए जाएँगे ।

Further, at a date and time of your convenience, an introductory meeting with SEBI officials of Western Regional Office (WRO), Ahmedabad along with official of nodal implementing SMP, i.e. NSE (Shri Javed Husain, jhusain@nse.co.in) may please be scheduled. This will allow the team to present the detailed proposal and execution plan in Madhya Pradesh.

6. इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, सेबी में सुश्री बाला कुमारी, महाप्रबंधक (balak@sebi.gov.in) / श्री बिनय कुमार, सहायक महाप्रबंधक (binayk@sebi.gov.in) से संपर्क किया जा सकता है ।

The nodal point of contact for this initiative at SEBI are Ms. Bala Kumari, GM, balak@sebi.gov.in / Mr. Binay Kumar, AGM, binayk@sebi.gov.in.

सादर / With Regards,
आपका / Yours sincerely,

तुहिन कांत पाण्डे / Tuhin Kanta Pandey

श्री अशोक बरनवाल, आई.ए.एस.,
मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश,
पिन कोड – 462004
ईमेल - cs@mp.nic.in

Shri Ashok Barnwal, I.A.S.,
Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhawan, Mantralaya,
Bhopal, Madhya Pradesh,
Pin Code – 462004
Email: cs@mp.nic.in

प्रति / CC:

(1) **श्री अनुपम राजन, आई.ए.एस.,**
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश, पिन कोड - 462004
ईमेल - pshighedu@mp.gov.in

Shri Anupam Rajan, I.A.S.,
Additional Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Department of Higher Education,
Vallabh Bhawan, Mantralaya,
Arera Hills, Bhopal,
Madhya Pradesh, Pin Code - 462004
Email: pshighedu@mp.gov.in

(2) **श्री मनीष रस्तोगी, आई.ए.एस.,**
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
वित्त विभाग,
ब्लॉक - 02, तृतीय तल,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, पिन कोड – 462004
ईमेल - acsfinance@mp.gov.in

Shri Manish Rastogi, I.A.S.,
Additional Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Finance Department,
Block - 02, 3rd Floor,
Mantralaya, Vallabh Bhawan,
Bhopal, Pin Code – 462004
Email: acsfinance@mp.gov.in

Email

pshighedu < pshighedu@mp.gov.in >

Fwd: प्रोजेक्ट जागरूक" के संबंध में सहयोग हेतु सेबी के दिनांक 17 सितंबर, 2026 के पत्र की स्कैन प्रति प्रेषित करने के संबंध में/ Submission of scanned copy of SEBI's letter dated September 17, 2026, regarding "Project Jagrook" collaboration

24 SEP 2026
OSD (RKY)

Ashok Barnwal, Chief Secretary, MP < cs@nic.in >

Thu, 24 Sep 2026 3:15:22 PM +0530

To "Principal Secretary Higher Education"<pshighedu@mp.gov.in>,"Manish Rastogi" <acsfinance@mp.gov.in>

============ Forwarded message ============
From: binay kumar <binayk@sebi.gov.in>
To: <cs@mp.nic.in>
Cc: <pshighedu@mp.gov.in>, <acsfinance@mp.gov.in>, "VIKAS SUKHWAL" <vikass@sebi.gov.in>, "VIKAS SS"<vikas@sebi.gov.in>, "BALA KUMARI" <balak@sebi.gov.in>, "JAINENDRA SHANDILYA"<jainendras@sebi.gov.in>, "MONICA KULKARNI"<monikak@sebi.gov.in>, <jhusain@nse.co.in>
Date: Thu, 24 Sep 2026 14:43:46 +0530
Subject: प्रोजेक्ट जागरूक" के संबंध में सहयोग हेतु सेबी के दिनांक 17 सितंबर, 2026 के पत्र की स्कैन प्रति प्रेषित करने के संबंध में/ Submission of scanned copy of SEBI's letter dated September 17, 2026, regarding "Project Jagrook" collaboration
============ Forwarded message ============

पत्र क्र. 2274 /अमुस /उ.शि.
दिनांक 24/09/2026

आदरणीय महोदय/Dear Sir,

यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 17 सितंबर, 2026 के उस पत्र के संदर्भ में है, जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित किया गया है। उक्त पत्र में मध्य प्रदेश राज्य में "प्रोजेक्ट जागरूक" के क्रियान्वयन हेतु सेबी के साथ सहयोग के प्रस्ताव का उल्लेख है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, निवेश संबंधी जागरूकता प्रसारित करना तथा वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना हैं।

This is with reference to SEBI's letter dated September 17, 2026, addressed to the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, regarding the proposal for collaboration with SEBI for the implementation of "Project Jagrook" in the State of Madhya Pradesh. The primary objectives of this project are enhancing financial literacy, promoting investment awareness, and creating awareness on the prevention of financial fraud.

उक्त पत्र यद्यपि आधिकारिक डाक के माध्यम से पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है, तथापि आपके संदर्भार्थ हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन प्रति संलग्न की जा रही है।
While the aforesaid letter has already been dispatched via official post, a scanned copy of the signed letter is enclosed herewith for your ready reference.

HE office
SO-2
30/9/26

हमें इस प्रभावशाली पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने की अपेक्षा है
We look forward to collaborating with the Government of Madhya Pradesh on this impactful initiative.

Thanks & Regards,
Binay Kumar
Assistant General Manager
OIAE –IAD-1

Securities and Exchange Board of India (SEBI) | SEBI Bhavan II | Plot No. C-7, G Block | Bandra Kurla Complex | Bandra East | Mumbai – 400051
Tel: (022) 26449874

"दावात्याग: यह ईमेल और इस ईमेल में जो कुछ भी कहा गया है (जिसमें इसके साथ भेजी गई फाइलें आदि भी शामिल हैं), वह गोपनीय है और यह केवल उसी व्यक्ति या एंटिटी के लिए है जिसे यह ईमेल भेजा गया है । यदि आपको यह ईमेल गलती से मिल गया हो, तो ऐसे में आप कृपया यह नोट करें कि इस ईमेल में जो कुछ भी कहा या भेजा गया है उसका आप किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, या उसे आगे किसी से भी साझा नहीं करेंगे और अनधिकृत रूप से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे । जिस व्यक्ति या एंटिटी ने आपको ऐसा कोई ईमेल भेज दिया हो, आप उसे इस ईमेल के जवाब में यह सूचित कर दें कि यह ईमेल आपके पास गलती से आ गया है । साथ ही, इस ईमेल में जो कुछ भी भेजा गया है, आप उस पर ध्यान न दें और उसे हटा दें (डिलीट कर दें) । चूँकि ईमेल के जरिए अनजाने में कंप्यूटर वायरस आने की गुंजाइश बनी रहती है, इसलिए यदि इस ईमेल के जरिए कोई वायरस आ जाने की वजह से कोई नुकसान हो जाए, तो इसके लिए इस ईमेल को भेजने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।"

"Disclaimer: The content of this email (including any attachments) is confidential and intended solely for the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this email, you are on notice of its status and please note that any use, reproduction, or distribution of this email is unauthorized and strictly prohibited. You are also required to inform the sender of the error by replying to this email, as well as disregard and delete the contents of this email. Computer viruses may be inadvertently transmitted via email and the sender accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email"

1 Attachment(s)

Letter to CS - Madhya Pradesh...
237.8 KB

< binayk@sebi.gov.in >

Thu, 24 Sep 2026 2:43:53 PM +0530

To "cs"<cs@mp.nic.in>

Cc "pshighedu"<pshighedu@mp.gov.in>,"acsfinance" <acsfinance@mp.gov.in>,"VIKAS SUKHWAL"<vikass@sebi.gov.in>,"VIKAS SS" <vikas@sebi.gov.in>,"BALA KUMARI"<balak@sebi.gov.in>,"JAINENDRA SHANDILYA"<jainendras@sebi.gov.in>,"MONICA KULKARNI" <monikak@sebi.gov.in>,"jhusain"<jhusain@nse.co.in>

Tags Not in Contacts

आदरणीय महोदय/Dear Sir,

. कांत पाण्डे
.ध्यक्ष
Tuhin Kanta Pandey
Chairman

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

SEBI/OIAE/ DIS/24175/2026
September 17, 2026
17 सितम्बर, 2026

प्रिय श्री अशोक बरनवाल / Dear Shri Ashok Barnwal,

विषय: मध्य प्रदेश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, निवेश के बारे में और अधिक जागरूकता लाने और वित्तीय धोखा धड़ी पर लगाम कसने के लिए सेबी / एस.एम.पी. के सहयोग से 'प्रोजेक्ट जागरूक' चलाए जाने का प्रस्ताव

Subject: Proposal to collaborate with SEBI/SMPs to implement 'Project Jagrook' to enhance Financial Literacy, promote Awareness about investment as well as Financial Fraud Prevention in Madhya Pradesh– Regarding

1. जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) के तहत की गई थी और सेबी का उद्देश्य सिक्यूरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना, सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित (रेग्यूलेट) करना है ।

   As you are aware, SEBI, established under the SEBI Act, 1992, is mandated to protect the interests of investors in securities and to promote the development and regulation of the securities market.

2. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, देशभर में **'प्रोजेक्ट जागरूक'** नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है । यह अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अलग-अलग भाषाओं में चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वित्त संबंधी पहलुओं की जानकारी दी जा सके और उन्हें सोच-समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेने के काबिल बनाया जा सके और इस तरह से वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसी जा सके । सेबी यह अभियान सिक्यूरिटीज़ मार्केट से जुड़े महत्त्वपूर्ण सहभागियों (एस.एम.पी.) जैसे राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.), स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई., एनएसई, एमसीएक्स), डिपॉजिटरीज़ (सीडीएसएल और एनएसडीएल) और एम्फी (असोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) के साथ मिलकर चला रहा है ।

   In line with this mandate, **'Project Jagrook'** has been initiated as a comprehensive, nationwide campaign that integrates both physical and digital pathways to enhance financial literacy. The project adopts a multi-linguistic and multi-channel approach to promote financial literacy, informed investment practices and prevent financial fraud. This unified mission is being driven by SEBI in collaboration with key Securities Market Partners (SMPs) including National Institute of Securities Market (NISM), Stock Exchanges (BSE, NSE, MCX), Depositories (CDSL and NSDL) and Association of Mutual Funds in India (AMFI).

3. देशभर में चलाए जा रहे इस अभियान को कारगर ढंग से और बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए, सेबी ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि सभी के लिए एक ही तरह का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बजाय लोगों की उम्र, उनके ज्ञान के स्तर, अनुभव और अलग-अलग संस्थाओं के साथ उनके सरोकार को ध्यान में रखकर ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ । इस रणनीति के तहत, मध्य प्रदेश सरकार के साथ तालमेल बिठाते हुए, एस.एम.पी., यानी एनएसई, सेबी के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे:

To ensure the effective and widespread implementation of this national campaign, SEBI has transitioned from broad-based outreach to a targeted awareness program approach based on age, knowledge and experience of each cohort, and institutional engagement. Under this strategy, a dedicated SMP, i.e. NSE, would work alongside SEBI in coordination with the Government of Madhya Pradesh to conduct structured awareness programs, through the following two primary pathways:

i. **राज्य सरकार के जरिए विभिन्न संस्थाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन:** संबंधित राज्य सरकार के विभागों जैसे कि शिक्षा विभाग (उच्च विद्यालय), कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वयं सहायता समूहों, पुलिस, पंचायती राज विभाग, आदि के सहयोग से उनके कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन । इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की उम्र, उनके ज्ञान के स्तर और उनकी भाषा के आधार पर उन्हें वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें वित्त संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा ।

   Institutional Outreach via State Government: Facilitating engagement with various target audience groups and public sector employees through relevant State Government departments, such as School Education (high schools), Skill Development, Women & Child Development, Self Help Groups, State Police, Panchayati Raj, etc. This will enable the dissemination of financial and investor awareness tailored to specific age, skill, and language preferences.

ii. **विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ सहयोग:** इस अभियान के तहत, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के यहाँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे । इस अभियान के तहत, विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों द्वारा नामित किए गए तथा सेबी और एन.आई.एस.एम. द्वारा प्रमाणित किए गए ट्रेनर छात्रों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करेंगे । हमें यह उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के दौरान जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा वे फिर आगे अपने-अपने समुदायों के लोगों को सुरक्षित निवेश के बारे में जागरूक करेंगे और साथ ही उन्हें यह भी बताएंगे कि धोखाधड़ी का शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है ।

Partnership with Universities & higher education institutions: Extending the campaign to universities and educational institutions under the State Government. Under this initiative, Trainers nominated by universities & educational institutions and certified by SEBI & NISM will impart financial literacy to students. It is envisioned that these trained youths will serve as catalysts to spread awareness regarding safe investment practices and fraud prevention within their communities.

इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जो भी अनुभव रहेगा उसके आधार पर और उपरोक्त विभागों द्वारा दिखाई गई रुचि के आधार पर, इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन राज्य सरकार के दूसरे विभागों के लिए भी किया जाएगा।

Based on the experience gathered from these initiatives and the interest shown by the aforesaid departments, such initiatives will also be expanded to other departments of the State Government.

4. ऊपर जिन उद्देश्यों का जिक्र किया गया है, उन्हें पूरा करने में हमें आपके सहयोग की दरकार है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप संबंधित प्रशासनिक विभागों को अनुदेश दें कि वे इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, जिससे मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। साथ ही, आपसे यह भी निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के किसी सचिव / विशेष सचिव / अपर सचिव के स्तर के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करें, ताकि उनकी देखरेख और नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके।

In order to facilitate the above, I request you to kindly consider advising the concerned administrative departments to facilitate this initiative that would benefit the residents of Madhya Pradesh. Additionally, it is requested that a senior official, preferably of the rank of Secretary / Special Secretary / Additional Secretary to the State Government, may be nominated as the Nodal Officer to oversee and lead this joint effort.

5. इसके अलावा, आपसे यह भी निवेदन है कि आप अपनी सुविधानुसार कोई तारीख और समय सूचित करें, ताकि सेबी के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के अधिकारी और इस अभियान से जुड़े नोडल एस.एम.पी. यानी एनएसई के अधिकारी (श्री जावेद हुसैन, jhusain@nse.co.in) आपके साथ इस संबंध में एक बैठक करके आपको विस्तार से यह बता सके कि मध्य प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम किस-किस तरह से आयोजित किए जाएँगे।

Further, at a date and time of your convenience, an introductory meeting with SEBI officials of Western Regional Office (WRO), Ahmedabad along with official of nodal implementing SMP, i.e. NSE (Shri Javed Husain, jhusain@nse.co.in) may please be scheduled. This will allow the team to present the detailed proposal and execution plan in Madhya Pradesh.

6. इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, सेबी में सुश्री बाला कुमारी, महाप्रबंधक (balak@sebi.gov.in) / श्री बिनय कुमार, सहायक महाप्रबंधक (binayk@sebi.gov.in) से संपर्क किया जा सकता है ।

The nodal point of contact for this initiative at SEBI are Ms. Bala Kumari, GM, balak@sebi.gov.in / Mr. Binay Kumar, AGM, binayk@sebi.gov.in.

सादर / With Regards,
आपका / Yours sincerely,

तुहिन कांत पाण्डे / Tuhin Kanta Pandey

श्री अशोक बरनवाल, आई.ए.एस.,
मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश,
पिन कोड – 462004
ईमेल - cs@mp.nic.in

Shri Ashok Barnwal, I.A.S.,
Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhawan, Mantralaya,
Bhopal, Madhya Pradesh,
Pin Code – 462004
Email: cs@mp.nic.in

प्रति / CC:

(1) **श्री अनुपम राजन, आई.ए.एस.,**
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश, पिन कोड - 462004
ईमेल - pshighedu@mp.gov.in

Shri Anupam Rajan, I.A.S.,
Additional Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Department of Higher Education,
Vallabh Bhawan, Mantralaya,
Arera Hills, Bhopal,
Madhya Pradesh, Pin Code - 462004
Email: pshighedu@mp.gov.in

(2) **श्री मनीष रस्तोगी, आई.ए.एस.,**
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
वित्त विभाग,
ब्लॉक - 02, तृतीय तल,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, पिन कोड – 462004
ईमेल - acsfinance@mp.gov.in

Shri Manish Rastogi, I.A.S.,
Additional Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Finance Department,
Block - 02, 3rd Floor,
Mantralaya, Vallabh Bhawan,
Bhopal, Pin Code – 462004
Email: acsfinance@mp.gov.in